

विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-27/2017

मेसर्स गीयर प्रोफाइल्स
7/2, इण्डस्ट्रीयल एरिया नं.-2,
ए.बी. रोड, देवास म.प्र.-455001

— आवेदक

विरुद्ध

कार्यपालक निदेशक (उ.क्ष.)
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
उज्जैन (म0प्र0)

— अनावेदक

अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) वृत्त
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
देवास (म0प्र0)

पुनरीक्षित आदेश

(दिनांक 25.08.2020 को पारित)

01. मेसर्स गीयर प्रोफाइल्स, 7/2 इण्डस्ट्रीज एरिया नं0 02, ए0बी0 रोड, देवास (म0प्र0) (संक्षेप में – आवेदक) ने उनके उच्चदाब कनेक्शन पर स्थापित मीटरिंग इक्वीपमेंट (संक्षेप में – एम0ई0) दिनांक 12.03.2017 को फैल होने पर म0प्र0 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी (संक्षेप में – वितरण अनुज्ञाप्तिधारी) द्वारा फैल एम0ई0 कीमत वसूल जाने के विरुद्ध विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर (संक्षेप में – फोरम) के समक्ष प्रस्तुत शिकायत प्रकरण क्रमांक W0 373717 में फोरम के आदेश दिनांक 06.07.2017 से असंतुष्ट होकर विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। विद्युत लोकपाल ने अपील को प्रकरण क्र0 एल00 27/17 पर दर्ज कर विभिन्न तिथियों में उभयपक्षों की सुनवाई कर यह निष्कर्ष प्राप्त करते हुए कि “अनावेदक यह सिद्ध करने में असफल रहा कि आवेदक की गलती के कारण एम0ई0 क्षतिग्रस्त हुई है। अनावेदक द्वारा एम0ई0 के फैल होने के कारणों की पुष्टि किए बगैर आवेदक से एम0ई0 की पूरी कीमत जमा कराई गई जो कि

आयोग द्वारा जारी विनियम के प्रावधान के विपरीत है। अतः एम0ई0 की कीमत आवेदक को वापिस की जाना न्यायसंगत है।” विद्युत लोकपाल ने प्राप्त किए गए निष्कर्ष के आधार पर दिनांक 22.09.2017 को आवेदक से जमा कराई गई एम0ई0 की कास्ट रूपए 1,81,351/- को आवेदक को वापिस करने अथवा इस राशि का समायोजन उनके आगामी देयकों में किए जाने संबंधी आदेश पारित किया।

02. विद्युत लोकपाल के उक्त आदेश के विरुद्ध वितरण अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा “मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009” के विनियम 5.3 के अंतर्गत माननीय म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (संक्षेप में – आयोग) के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर माननीय आयोग ने अपने आदेश दिनांक 05.09.2018 से प्रकरण को पुनः विद्युत लोकपाल को सुपुर्द करते हुए उन्हें नई सुनवाई कर प्रकरण में निर्णय हेतु आदेशित किया है। इसी आदेश के सरल क्रमांक 5(vi) में माननीय आयोग ने वितरण अनुज्ञाप्तिधारी को आवेदक के परिसर में स्थापित सीटी/पीटी की परिसर में स्थापना की दिनांक से किए गए निरीक्षण/परीक्षण/रखरखाव के अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है।
03. माननीय आयोग के आदेश दिनांक 05.09.2018 के अनुपालन में विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 22.09.2017 की समीक्षा हेतु प्रथम सुनवाई दिनांक 19.12.2018 को नियत की गई, किन्तु उभयपक्षों की अनुपस्थिति से सुनवाई नहीं हो सकी। तत्समय नियमित विद्युत लोकपाल की नियुक्ति न होने के कारण प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा नियमित विद्युत लोकपाल की पदस्थापना की प्रत्याशा में प्रकरण में सुनवाई न की जाकर सुनवाई आगे बढ़ाई जाती रही। अन्ततः माह अप्रैल 2019 में नियमित विद्युत लोकपाल के पदग्रहण करने के पश्चात प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.04.2019 को नियत थी। चूंकि इस दिनांक को समस्त लंबित प्रकरण की सुनवाई एक ही दिन नियत की गई थी जो कि व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं था, अतः सभी प्रकरणों की सुनवाई पुनः ही पुनर्निर्धारित (Re-schedule) की गई और प्रकरण में 21.05.2019, 18.06.2019, 27.06.2019, 08.07.2019 और 23.07.2019 को उभयपक्षों की सुनवाई आयोजित की गई। इन सुनवाईयों में आवेदक की ओर से श्री के0 कानानी, कंसलटेंट एवं श्री ओ0पी0 रघुवर – प्लांट मैनेजर और अनावेदक की ओर से श्री आर0पी0 कुण्डल, कार्यपालन यंत्री (एस0टी0एम0) देवास एवं श्री डी0एन0 शर्मा, अधीक्षण यंत्री (संचा0 / संधा0), देवास उपस्थित हुए।
04. विभिन्न तिथियों में आयोजित सुनवाईयों में अनावेदक की ओर से ऐसा कोई भी नया तर्क या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 22.09.2017 से संबंधित पूर्व में

की गई सुनवाईयों में प्रस्तुत नहीं किया गया हो । उनके द्वारा केवल पूर्व में प्रस्तुत साक्ष्यों/जानकारी की पुनरावृत्ति ही की गई है ।

फैल हुई एम०ई० के दिनांक 07.09.2017 को किए गए संयुक्त निरीक्षण में एम०ई० के टेंक में आयल नहीं पाए जाने के संबंध में अनावेदक की ओर से पूर्व में प्रस्तुत तर्क की फैल एम०ई० को स्टोर वापिस करने हेतु आयल निकाला गया था को विद्युत लोकपाल द्वारा तथ्यहीन प्रतीत होना पाया गया था क्योंकि फेल होने की तिथि से कोर इंस्पेक्शन की तिथि तक की 6 माह की अवधि में भी एम०ई० स्टोर में वापिस नहीं की गई थी ।

आयोजित की गई सुनवाईयों में भी अनावेदक की ओर से यही तर्क प्रस्तुत किया गया है । इस तर्क के संबंध में पूर्व आदेश दिनांक 22.09.2017 की नस्ती में उपलब्ध कोर निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति तथा इसके साथ प्रस्तुत अनावेदक के सहायक यंत्री (उच्चदाब संधारण) के पत्र क्रमांक 518 दिनांक 07.09.2017 का अवलोकन किया गया । इस पत्र में सहायक यंत्री ने अपने कार्यपालन यंत्री को सूचित किया है कि दिनांक 12.03.2017 को फैल हुई थी और कार्यपालन यंत्री (टेस्टिंग) उज्जैन द्वारा एम०ई० के परीक्षण उपरांत क्षैत्रीय भण्डार उज्जैन में लौटाए जाने की प्रक्रियां के पहले उनके द्वारा आईल निकाल लिया गया था । इसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि संयुक्त कोर निरीक्षण दिनांक 07.09.2017 को किया गया था जिसमें श्री उमेश चौरसीया, सहायक यंत्री (उच्चदाब मेंटेनेंस) उपस्थित थे । श्री उमेश द्वारा इसी दिनांक को उक्त पत्र क्र० 518 लिखा/प्रेषित किया गया । किन्तु यह आश्चर्यजनक है कि श्री उमेश चौरसीया ने पत्र द्वारा एम०ई० से ऑयल निकाले जाने की सूचना अपने कार्यपालन यंत्री को प्रेषित की किन्तु उसी दिन किए गए संयुक्त कोर निरीक्षण के दौरान एम०ई० में आयल नहीं पाए जाने के संबंध में उनके द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में कोर निरीक्षण में ऐसी कोई टीप दर्ज नहीं की गई जो पत्र लिखने से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी । स्पष्ट है कि टेंक में ऑयल नहीं होने के कारण एम०ई० जलने संबंधी तथ्य को छुपाने के लिए एक नियोजित योजना के अन्तर्गत कोर निरीक्षण के बाद निरीक्षण की दिनांक में ही उक्त पत्र बनाया गया ।

05. माननीय आयोग ने अपने आदेश दिनांक 05.09.2018 में पैरा 5(vi) में वितरण अनुज्ञाप्तिधारी के लिए निर्देश दिए हैं कि वे उपभोक्ता परिसर में स्थापना की दिनांक से सीटी/पीटी (एम०ई०) के लिए निरीक्षण/परीक्षण/रखरखाव के अभिलेख प्रस्तुत करें । इस संबंध में अनावेदक अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) देवास द्वारा पूर्व में अपने लिखित प्रस्तुतीकरण दिनांक 26.12.2018 के माध्यम से कुछ जानकारी प्रस्तुत की थी । किन्तु तत्समय नियमित विद्युत लोकपाल की स्थापना नहीं होने से

सुनवाई आयोजित नहीं की जा रही थी । दिनांक 18.06.2019 की सुनवाई में अनावेदक की ओर से पुनः प्रस्तुत किए गए इस प्रस्तुतीकरण के बिन्दु क्रमांक 5.6 में निम्न कथन किया गया है :—

‘बिन्दु क्रमांक 5.6 :—

33 केवी औद्योगिक फीडर जिस पर उपभोक्ता का संयोजन स्थित है का मेन्टेनेंस सहायक यंत्री (उदा) कार्यालय शहर संभाग देवास द्वारा दिनांक 29.04.2016, 18.05.2016, 10.07.2016, 22.08.2016 एवं 06.01.2017 को किया गया और लाईन के साथ ही कनेक्शन की एम०झ० का भी मेंटेनेंस किया गया । एम०झ० एक स्टेटिक डिवाईस है जिसमें इसके मेंटेनेंस में मात्र जम्फर और बुशिंग ही चेक की जाती है जो की गई थी । मेंटेनेंस सूचना की छायाप्रति संलग्न । एनेक्चर – 4 ।

- (1) यह 132 / 33 केऽही० एमएसपी उपकेन्द्र पर संधारित किसी रजिस्टर के पन्नों की छायाप्रतियां हैं जिस पर अलग-अलग शट-डाउन संबंधी सूचना हस्तालिखित है और नीचे संबंधित उपभोक्ता का नाम व इसके समक्ष उपभोक्ता प्रतिनिधि का नाम दर्ज है जिनको या तो सूचना दी जानी है या दी गई है ।
- (2) एम०झ० के कथित रूप से किए गए मेंटेनेंस की सूचित दिनांकों के संबंधित नोटिस से निम्न विवरण प्राप्त होते हैं –

33 केऽही० फीडर पर	शटडाउन की दिनांक	शटडाउन की अवधि	शटडाउन का प्रयोजन
29.04.2016	05 घंटे		प्री-मानसून लाईन मेंटेनेंस
18.05.2015	05 घंटे		प्री-मानसून लाईन मेंटेनेंस
10.07.2016	06 घंटे		132 / 33 केऽही० उपकेन्द्र पर आवश्यक मेंटेनेंस कार्य एवं उच्चदाब उपभोक्ताओं की एम०झ० का मेंटेनेंस
22.08.2016	01 घंटा		132 / 33 केऽही० उपकेन्द्र पर आवश्यक मेंटेनेंस कार्य
06.01.2017	02 घंटे		आवश्यक लाईन मेंटेनेंस कार्य

उक्त विवरणों से अनावेदक की ओर से उक्त शट डाउन में इक्वीपमेंट का मैटेनेन्स किए जाने संबंधी कथन सत्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि फीडर के मैटेनेन्स के साथ साथ इससे सम्बद्ध 16 उच्चदाब उपभोक्ताओं की एम०ई० का सुचारू मैटेनेन्स शटडाउन की 01, 02 या 5 घंटे की अल्प अवधि में किया जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। वैसे भी यह मैटेनेन्स की कथित सूचना मात्र है और इसके अन्तर्गत वास्तव में किए गए मैटेनेन्स के कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिसके लिए माननीय आयोग ने अपने आदेश दिनांक 05.09.2018 में निर्देशित किया है।

06. दिनांक 08.07.2019 की सुनवाई में अनावेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित प्रस्तुतीकरण के बिन्दु क्रमांक 8.9 में भी पुनः लिखित कथन किया गया है कि 'उपभोक्ता के परिसर में एम ई स्थापना की दिनांक 01.12.2014 से एम ई जलने की दिनांक 12.03.2017 तक शहर संभाग द्वारा दिनांक 29.04.2016, 18.05.2016, 10.07.2016, 22.08.2016 एवं 06.01.2017 को 33 केवी फीडर एवं फीडर से संयोजित उच्चदाब उपभोक्ताओं की एम ई का मैटेनेन्स किया गया। इस दौरान उपभोक्ता की एम ई का जम्पर, आईल लिकेज, बुशिंग इत्यादि चेक किए गए।' किन्तु अपने इस कथन के पक्ष में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
07. फोरम के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण का यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि एम०ई० फैल होने पर मीटर को कोई क्षति नहीं पहुंची है। आवेदक ने फोरम के समक्ष अपने पत्र दिनांक 20.06.2017 से लिखित प्रस्तुतीकरण किया था जिसके बिन्दु क्रमांक – M में यह सूचित किया था कि उच्चदाब कनेक्शन का ट्राईविक्टर मीटर के पीटी सर्किट और सीटी सर्किट को कोई क्षति नहीं पहुंची है, जिस पर अनावेदक द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। आवेदक ने अपने पत्र दिनांक 04.07.2017 से किए गए लिखित प्रस्तुतीकरण के बिन्दु क्रमांक 13 में मीटर के नहीं जलने पर फोरम के समक्ष निम्नानुसार तर्क प्रस्तुत किया था कि –

"B. Point M - Sir, it is a technical fact that all current carrying components of either M.E. or T.V. Meter are always designed as per the required rated current which is supposed to pass through them (and are never designed for reduced current as pointed out by MPPKVVCL). Secondary current always pass is proportion to primary current and therefore secondary circuit is also designed for the current which is supposed to pass. Any fault current generated either on primary or on secondary circuit has to pass through the relevant components.

Sir as written in our letter dated 20-06-2017, in case of any fault in our premise, the fault current generated has to pass through T.V. Meter also and would have damaged T.V. meter, because the when any fault is generated in M.E. itself, then that fault current may not pass through T.V. Meter and it may not have damaged the T.V. Meter. Sir, this may be one of the major possible fact in our case.

Sir as very clearly mentioned in Mouka Panchnama, there was heavy bursting noise from the bushing of the M.E. Sir, the fault current generated in the M.E. (as explained above) may not supposed to pass through the T.V. Meter when the fault is generated inside of M.E. Sir this clearly gives chance to believe that the fault current would have been generated due to failure and due to bursting of the bushing or due to reduced BDR value of M.E. or due to reduction of I.R. Value or due to any other reason (best known to MPPKVVCL). Sir the fault current C.T. Circuit of ME''

आवेदक के उक्त तर्क पर अनावेदक के अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री (शहर), देवास ने अपने पत्र क्रमांक 894 दिनांक 27.06.2017 से फोरम के समक्ष किए गए लिखित प्रस्तुतीकरण में मीटर नहीं जलने के पीछे निम्न प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है ।

M) चूंकि ट्रायवेक्टर एनर्जी मीटर 33000 / 110 वोल्ट पर कार्य करता है तथा ट्रायवेक्टर एनर्जी मीटर मीटरिंग इक्युपमेंट की सेकण्ड्री से कनेक्टेड रहता है । जिस कारण सिस्टम वोल्टेज एवं करंट का कुछ भाग ही मीटर के अन्दर प्रभावित होता है इसलिए फाल्ट आने पर ट्रायवेक्टर एनर्जी मीटर नहीं जलता है । अतः स्पष्ट है कि ट्रायवेक्टर एनर्जी मीटर का सही होना एमोई 0 के फेल होने से कोई संबंध नहीं रखता ।

- 08.** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विद्युत इंजीनियरिंग के इस बुनियादी तकनीकी सिद्धान्त को दृष्टिगत रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी विद्युत प्रणाली में फाल्ट होने पर उत्पन्न फाल्ट करेंट हमेशा फाल्ट के स्थान से तथा विद्युत ऊर्जा के स्रोत के मध्य स्थित प्रणाली के भागों से प्रवाहित होता है तथा फाल्ट के स्थान से ऊर्जा के स्रोत के सापेक्ष विपरित दिशा में स्थित प्रणाली के अन्य भागों से फाल्ट करेंट प्रवाहित नहीं होता । उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में ऊर्जा का स्रोत विद्युत वितरण अनुज्ञाप्तिधारी का विद्युत उपकेन्द्र होता है तथा उपभोक्ता की विद्युत प्रदाय के लिए प्रयुक्त प्रणाली में इस उपकेन्द्र से उपभोक्ता की आंतरिक

विद्युत व्यवस्था तक की विद्युत संरचना शामिल होती है । अनुज्ञप्तिधारी का विद्युत उपकेन्द्र, उच्चदाब विद्युत लाईन, एम०ई० एवं मीटर और उपभोक्ता परिसर में स्थित उसका विद्युत उपकेन्द्र तथा परिसर की आंतरिक विद्युत व्यवस्था इस विद्युत प्रणाली के भाग होते हैं । अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत उपकेन्द्र से उपभोक्ता परिसर की दिशा में इन भागों की भौतिक स्थापना उपरोक्त क्रम में ही होती है । प्रणाली के इन विभिन्न भागों की भौतिक स्थापना के क्रमानुसार यदि उपभोक्ता साईड में अर्थात् एम०ई० / मीटर के बाद उपभोक्ता परिसर में स्थित विद्युत संरचना, जो उपभोक्ता की संपत्ति होकर उसके समुचित रखरखाव की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होती है, में कोई विद्युतीय फाल्ट होने पर उत्पन्न फाल्ट करेंट फाल्ट के स्थान से अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत उपकेन्द्र के मध्य में स्थित एम०ई० और अनुज्ञप्तिधारी की उच्चदाब लाईन से प्रवाहित होगा । इसके साथ ही एम०ई० के माध्यम से अनुपालिक मात्रा में एम०ई० से मीटर तक के सर्किट में भी प्रवाहित होगा । किन्तु उपभोक्ता परिसर के बाहर अर्थात् एम०ई० और / या उसके बाद के भाग में फाल्ट होने पर फाल्ट के स्थान से अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत उपकेन्द्र के सापेक्ष विपरीत दिशा में स्थित होने के कारण फाल्ट करेंट उपभोक्ता परिसर की विद्युत संरचना तथा मीटर से प्रवाहित नहीं होगा ।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से यह निर्विवादित रूप से सिद्ध है कि फाल्ट होने पर एम०ई० की सेकण्डरी से जुड़ी कन्ट्रोल केबल तथा मीटर को कोई क्षति नहीं पहुंची । इससे सिद्ध होता है कि फाल्ट होने पर केवल एवं मीटर से फाल्ट करेंट प्रवाहित ही नहीं हुआ है । उपरोक्त वर्णित तकनीकी सिद्धांत के अनुसार ऐसा तभी संभव है जब फाल्ट उपभोक्ता परिसर की विद्युत प्रणाली में न होकर इसमें बाहर हुआ हो । इस आधार पर आवेदक उपभोक्ता का कथन कि उनके परिसर में दिनांक 12.03.2017 को उनके उच्चदाब कनेक्शन की एम०ई० उनके परिसर में किसी फाल्ट होने के कारण नहीं जली है और इसके साथ उनसे वसुली गई एम०ई० की कीमत अनावेदक से वापिस दिलवाए जाने की उनकी मांग तकनीकी रूप से उचित एवं स्वीकार योग्य पाई जाती है जबकि अनावेदक की ओर से प्रस्तुत प्रति उत्तर का कोई तकनीकी आधार नहीं होने से यह स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है ।

09. प्रकरण में की गई विस्तृत विवेचना से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि दिनांक 12.03.2017 को आवेदक उपभोक्ता के उच्चदाब कनेक्शन पर स्थापित एम०ई० जलने / फैल होने के लिए आवेदक उपभोक्ता की जिम्मेदारी सिद्ध करने में अनावेदक असफल रहा है और "**Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenses and other Charges for providing Electric Line or Plant used for the purpose of giving Supply) Regulations (Revision-**

I) 2009 {RG-31(I) of 2009} के परिशिष्ट – 1 के बिन्दु क्रमांक – VI Recovery of Cost of Burnt Meter/Mattering Equipment के अनुसार अनावेदक फैल हुई एम0ई0 की कीमत की वसूली आवेदक से करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है । प्रकरण में विद्युत लोकपाल द्वारा दिनांक 22.09.2017 को पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है ।

10. प्रकरण में की गई विस्तृत विवेचना और इसमें प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आवेदक की अपील स्वीकार करते हुए निर्णय पारित किया जाता है कि :–
 - (i) अनावेदक आवेदक से वसूल की गई एम0ई0 की अवमूल्यित लागत (Depreciated Cost) आवेदक को वापिस करने या आवेदक के तत्काल आगामी उच्चदाब बिल में समायोजित करने संबंधी विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 22.09.2017 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है और इस आदेश को यथावत् रखा जाता है ।
 - (ii) फोरम का आदेश दिनांक 31.05.2018 निरस्त किया जाता है ।
 - (iii) अनावेदक निर्धारित 45 दिवस की अवधि में इस आदेश पर अपना पालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे ।
 - (iv) उभय पक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।
11. उक्त निर्णय के साथ माननीय आयोग के आदेश दिनांक 05.09.2018 का पालन होकर प्रकरण समाप्त होता है । माननीय आयोग के पालन प्रतिवेदन स्वरूप इस आदेश की एक प्रति सचिव, म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग को पृथक से प्रेषित हो ।
12. आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ उभय पक्षकार एवं फोरम अलग से सूचित हों ।

विद्युत लोकपाल